**भारत सरकार**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या: 2147**
**01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियों का विनियमन और विस्तार**

**†2147. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंगः**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ऑनलाइन फ़ार्मेसियों और दवा वितरण प्लेटफ़ॉर्म के लिए स्पष्ट नियामक दिशानिर्देश तैयार किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या ई-फ़ार्मेसियों के माध्यम से बेची जाने वाली दवाओं के लिए कोई गुणवत्ता और प्रामाणिकता संपरीक्षा की जा रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिए टेलीमेडिसिन मानक विकसित किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को डिजिटल डायग्नोस्टिक या परामर्श प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

**उत्तर**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

(क): दवाओं की ऑनलाइन बिक्री को व्यापक रूप से विनियमित करने के लिए भारत सरकार ने ई-फार्मेसी के माध्यम से दवाओं की बिक्री और विवरण के विनियम से संबन्धित प्रावधानों को शामिल करने के लिए औषधि नियम, 1945 में संशोधन हेतु जनता/ हितधारकों से टिप्पणियाँ आमंत्रित करने के लिए 28 अगस्त, 2018 को सा.का.नि. 817 (अ) के माध्यम से मसौदा नियम प्रकाशित किया है।

मसौदा नियमों में ई-फार्मेसी के पंजीकरण, ई-फार्मेसी का समय-समय पर निरीक्षण, ई-फार्मेसी के माध्यम से औषधियों के वितरण या बिक्री की प्रक्रिया, ई-फार्मेसी के माध्यम से औषधियों के विज्ञापन पर प्रतिबंध, शिकायत निवारण तंत्र, ई-फार्मेसी की निगरानी आदि से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

(ख): औषधियों की बिक्री और वितरण को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों के माध्यम से विनियमित किया जाता है।

राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को उक्त अधिनियम एवं नियमों के तहत कार्यान्वयन और निगरानी के लिए अधिकार प्राप्त है, यदि अनुपालन नहीं किया गया है, तो राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारी संबंधित अधिनियम और नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई कर सकते हैं।

(ग): ई-संजीवनी के अंतर्गत नगरों का ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं है। तथापि, देशभर में शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध डिजिटल अवसंरचना जैसे कि लैपटॉप/डेस्कटॉप, ई-संजीवनी एप्लिकेशन तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से टेलीमेडिसिन सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं।

(घ): आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) को एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में सभी राज्यों में लागू किया जाता है, जिसके अंतर्गत, राज्यों को एबीडीएम, आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) के कार्यान्वयन तथा फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न हितधारकों के क्षमता विकास के लिए तैनात मानव संसाधनों को सहयोग प्रदान करने के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

इसके अतिरिक्त, ई-संजीवनी के अंतर्गत, राज्य नोडल अधिकारियों के अनुरोध पर, सी-डैक मोहाली द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों, जिनमें चिकित्सक एवं सेवा प्रदाता शामिल हैं, के लिए ई-संजीवनी प्लेटफ़ॉर्म पर प्रशिक्षण सत्र  आयोजित किए जाते हैं, ताकि सेवा की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके और प्लेटफ़ॉर्म में हो रहे सुधारों की जानकारी उन्हें समय-समय पर दी जा सके। राज्य एवं जिला स्तर पर मास्टर प्रशिक्षकों को भी व्यापक प्रशिक्षण द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि वे क्षेत्रीय स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके जिससे स्थानीय भाषाओं में परिमाप्य कार्यान्वयन (स्केलेबल इम्प्लिमैनटेशन) और सहयोग संभव हो सके।

******